

भारत सरकार
आयुष मंत्रालय
(आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी)

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. - 380*
11 अगस्त, 2017 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

नकली आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयां

*380. श्री सतीश कुमार गौतम:

क्या आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री यह बताने का कृपा करगे कि:

- (क) क्या सरकार को नकली आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयां का आपूर्ति के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने ऐसी दवाइयां का आपूर्ति रोकने के लिए कोई प्रभावी काययोजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण ह?

उत्तर

आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री श्रीपाद येसो नाईक

(क) से (ग) : विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

लोक सभा म 11 अगस्त, 2017 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 380 के उत्तर म उल्लिखित विवरण

(क): राज्या ने नकला औषधियाँ सहित अवमानक औषधियाँ और इसके विरुद्ध का गई कारवाई जैसे कारण बताओ नोटिस जारी करना, लाइसेंस रद्द करना, गुणवत्ता परीक्षण और कानूनी कारवाइयाँ के मामले सूचित किए ह। केंद्रीय सरकार म आयुष मंत्रालय का जानकारी म लाये गए, कथित चूक और कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन के ऐसे मामले औषध गुणवत्ता नियंत्रण के कानूनी प्रावधानों के अनुसरण म आवश्यक कारवाई करने के लिए संबंधित राज्य प्राधिकारियों को अर्घोषित किए जाते ह।

(ख) और (ग): औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 म देश म आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियाँ के विनियमन और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए प्रावधान ह जिनका प्रवर्तन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। विनिमाताओं के लिए विनिर्माण एकांश और औषधियों का लाइसेंसिंग, उत्तम विनिर्माण पद्धतियाँ (जीएमपी) और भेषजसंहिता म दिए गए औषधों के गुणवत्ता मानकों के लिए निर्धारित आवश्यकताओं का पालन करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। ऐसी औषधियों के नकला, मिलावट और गलत ब्रांड के प्रकार तथा इनके लिए दंडात्मक प्रावधान अधिनियम म परिभाषित ह। तदनुसार राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त लाइसेंसिंग प्राधिकार/औषध नियंत्रक कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले चूकताओं के विरुद्ध आवश्यक कारवाई करने के लिए सक्षम ह।

आयुष औषधियों के प्रभावशाली गुणवत्ता नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए ह:

- 1) औषधियों के विनिर्माण के लिए गुणवत्ता मानकों और मानक संचालन प्रक्रियाओं के विकास और संशोधन हेतु भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएम एंड एच) तथा भेषजसंहिता समितियाँ गठित का गई ह।
- 2) 847 आयुर्वेदिक औषधों और 448 यूनानी औषधों के गुणवत्ता मानक संबंधित भेषजसंहिताओं म विकसित और प्रकाशित किए गए ह। औषधियों म भारी धातुओं, कोटनाशक अवशेषों, एफ्लाटाक्सिन और माइक्रोबियल लोड का अनुमेय सीमा भी निर्धारित का गई है।
- 3) 985 और 1229 मानकीकृत औषधयोगों सहित उनका विनिर्माण प्रक्रिया का राष्ट्रीय आयुर्वेदिक और यूनानी फार्मूलरियाँ प्रकाशित का गई ह।
- 4) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 158ख म सुरक्षा और प्रभावकारिता के प्रमाण के अनुरूप आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों के विनिर्माण के लिए लाइसेंस जारी करने हेतु विनियामक दिशा निर्देश दिए गए ह।
- 5) आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धतियों के संभावित खतरनाक पदार्थों का अनुसूचित सूची औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के प्रावधानों के तहत अधिसूचित है। विनिर्माता को ऐसी

- सामग्री वाले औषधयोगों के लिए शीशी पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में “चेतावनी:चिकित्सक का निगरानी में ली जाए” शब्दों सहित लेबल लगाना आवश्यक है।
- 6) संबंधित औषध नमूनों के परीक्षण के लिए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के प्रावधानों के तहत भारतीय चिकित्सा भेषजसंहिता प्रयोगशाला स्थापित की गई है और अपीलीय प्रयोगशाला के रूप में अधिसूचित है।
 - 7) 27 राज्य औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं और 46 राज्य फार्मासिया को उनका अवसंरचनात्मक और कार्यात्मक क्षमता के सुदृढीकरण के लिए सहायता दी गई है। अब तक आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधों तथा कच्ची सामग्री के गुणवत्ता परीक्षण के लिए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के प्रावधानों के तहत अनुमोदित 55 प्रयोगशालाएं अनुमोदित अथवा लाइसेंस प्राप्त हैं। फार्मासिया, औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं, प्रवर्तन तंत्र और औषधों के परीक्षण के सुदृढीकरण सहित इन औषधों के गुणवत्ता नियंत्रण को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान मुहैया कराया जाता है।
 - 8) आयुष औषधों के सुरक्षित प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयुष मंत्रालय ने भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि प्रिंट और टीवी मीडिया में आने वाले भ्रामक विज्ञापनों को निगरानी में लाया जाए और आवश्यक कार्रवाई के लिए चूककताओं की सूचना केंद्रीय सरकार और राज्य विनियामकों को दी जाए।
 - 9) संबंधित चिकित्सा पदावतियों के मेडिकल स्टोर प्रभारों और औषधि जांच समिति (एमआईसी) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्काम के अंतर्गत वितरित औषधियों की जांच करते हैं। यदि स्टोर में किसी औषधि के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस औषधि को आपूर्ति तत्काल रूप से रोक दी जाती है और औषधालय अथवा अस्पताल से जारी औषधि को वापस लेने की प्रक्रिया आरंभ की जाती है। औषधियों के नमूने केंद्रीय प्रयोगशाला अथवा एनएबीएल प्रत्यायित/सरकारी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला को परीक्षण के लिए भेजे जाते हैं।
 - 10) आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी औषधों से संबंधित कानूनी प्रावधानों के प्रवर्तन के लिए जब और जैसे आवश्यक हो राज्य सरकारों को निर्देश देने के लिए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 33त के अंतर्गत केंद्रीय सरकार के पास शक्तियां निहित हैं।
